न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व मूल वाद संख्याः– 50/2013

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.ओमाराम पुत्र श्री दलाराम जी जाति पटेल उम्र वर्ष निवासी गाव डोली तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01,श्री हिराराम पुत्र श्रीमदाराम 02.श्रीमती गजरी देवी पत्नी श्रीमदाराम 03.श्रीमती समदा बेवा श्री सुरताराम जाति पटेल निवासीगण डोली तहसील झंवर 04.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर। 05.श्रवण पुत्र सुरताराम पटेल निवासी डोली तहसील झवर जोधपुर।

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थिति –

01.वादी की और से अधिवक्ता ईश्वर सिह चम्पावत उपस्थित

02.प्रतिवादीगण की ओर से अनोव सिह सोलकी उपस्थित।

दिनाकः– 20/11/2024

आदेश

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व प्राथमिक डिकी दिनांक 07.10. 2024 को किया गया एव तहसीलदार झंवर को बटवाडा प्रस्ताव हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया तहसीलदार झंवर के माफिक प्राथमिक डिकी पक्षकारान् के मध्य नियमानुसार अपनी रिपोर्ट मय बटवाडा प्रस्ताव दिनांक 18.11.2024 को पेश किया।

वादी व प्रतिवादीगण द्वारा ग्राम डोली के खसरा नम्बर 160 रकबा 11 बीधा 4 बिस्वा खसरा नम्बर 165 रकबा 7 बीधा 5 बिस्वा खसरा नम्बर 436 रकबा 33 बीधा 11 बिस्वा कुल रकबा 52 बीधा 01 बिस्वा भूमि मे नाम सयुक्त खातेदारी मे दर्ज है तहसीलदार झंवर द्वारा प्रेषित बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 18.11.2024 मय मौका फर्द दिनाक 04.11.2024 को पेश की गई जिसके आधार पर वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव पेश किया जो सलग्न पत्रावली है। इसके अनुसार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्सानुसार प्रस्तावित बटवाडा प्रस्ताव निम्ननुसार है–

क,स	खातेदार विवरण	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	लगान	किस्म
A	ओमाराम पुत्र दलाराम जाति पटेल सा,देह खातेदार	160 165 436	0.6043 0.3939 1.8103	0.21 0.13 0.62	बारानी प्रथम बारानी प्रथम बारानी प्रथम
B	गजरी देवी पत्नी मदाराम का हिस्सा 1/4, हीराराम पुत्र मदाराम का हिस्सा 1/4, श्रवण पुत्र मदाराम का हिस्सा 1/4, समदा पत्नी सुरताराम जाति पटेल सा,देह, खातेदार।	160 165 436	1.2087 0.7878 3.6206	0.41 0.27 1.23	बारानी प्रथम बारानी प्रथम बारानी प्रथम

उक्त बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया जाने पर दोनो पक्षकाराण सहखातेदार होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण का बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिम डिकी पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 04.11.2024 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे तथा राजस्व नक्शे मे तरमीम इन्द्राज करे। बटवाडा प्रस्ताव एव मौका फर्द दिनाक 04.11.2024 डिकी का अभिन्न अग समझा जावे डिकी पर्चा जारी हो तहसीलदार झंवर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हों पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया) RAS

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 50 / 2013

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01.ओमाराम पुत्र श्री दलाराम जी जाति पटेल उम्र वर्ष निवासी गाव डोली तहसील लूणी जिला जोधपुर।		01,श्री हिराराम पुत्र श्रीमदाराम 02.श्रीमती गजरी देवी पत्नी श्रीमदाराम 03.श्रीमती समदा बेवा श्री सुरताराम जाति पटेल निवासीगण डोली तहसील झंवर 04.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झंवर। 05.श्रवण पुत्र सुरताराम पटेल निवासी डोली तहसील झावर जोधपुर।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 50 / 2013 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदद्ई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्वायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द दिनांक 04.11.2024 के अनुसार विभाजन कर वादी एव प्रतिवादीगण का हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे अलग से बटा नम्बर दर्ज कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करे।

नीज..मुबलिक..............................बाबत.................................खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह..फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.................... ....को अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 20/11/2024 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

मुद्वाई	रूपया	पै.	मुद्वायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्आम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिष्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजाच न			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी